

प्रेस-विज्ञप्तिथाना अहरौलादुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05-02-2021 को थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल मय हमराह के रवाना थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 222/2020 धारा 376/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभि0 दीपराज पुत्र झगड़ू सा0 चकदाउदशाह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उपरोक्त घर पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष मय हमराहियान के गनवारा बाजार से प्रस्थान कर अभियुक्त दीपराज उपरोक्त के घर पर पहुँच कर दबिश दिया गया तो अभि0 उपरोक्त घर के दरवाजे पर मौजूद मिला। जिससे उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम दीपराज पुत्र झगड़ू साकिन चकदाउदशाह थाना अहरौला आजमगढ़ बताया। चूंकि अभियुक्त दीपराज मुकदमा उपरोक्त में वांछित है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 11.50 बजे दिन वाजाफता हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण(संक्षेप में)- गिरफ्तार अभियुक्त दीपराज पुत्र झगड़ूसे पूछताछ करने पर बतायाकि पुरानी रंजिश को लेकर यह कृत्य किया था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 222/2020 धारा 376/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

अभि0 दीपराज पुत्र झगड़ू सा0 चकदाउदशाह थाना अहरौला आजमगढ़उम्र करीब 50वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SO श्रीप्रकाश शुक्ल
2. हे0का0 अरविन्द सिंह
3. का0 विक्रम सिंह
4. का0 विकाश यादव
5. म0का0 पूनम देवी

थाना-सिधारी03 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, वारंटी, ईनामिया एवं टाप टेन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवम् अवैध मादक पदार्थों के निष्कर्षण एवं विक्री

पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी मय हमराहीगण द्वारा वाछिंत, वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु ग्राम सिधारी में मौजूद थे कि उसी समय मुखबिर ने आकर सूचना दिया कि एक व्यक्ति अवैध गांजा लेकर मुबारकपुर से बेचने आपके क्षेत्र में आ रहा है। इस सूचना पर क्षेत्र में मौजूद हे0का0 रामप्रकाश चौधरी व हे0का0 अमलेश सिंह को बुलाकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर हमराहीगण को साथ लेकर शाहगढ़ चौराहे पर स्थित मन्दिर के पास पहुंचकर चेकिंग शुरू किया गया। उसी दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसे रूकने का इशारा किया गया तो उक्त व्यक्ति भागने का प्रयास किया जिसे मन्दिर के पास घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 05.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम हरिगोविन्द राम S/O छेदीराम सा0 तिवारीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया। उसके पास लिये प्लास्टिक के झोले के बारे में पूछा गया तो बताया कि इसमें गांजा लिये है। गांजा रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

हरिगोविन्द राम S/O छेदीराम निवासी ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी

03 कि0ग्रा0 गांजा

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 21/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सिधारी आजमगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-193/19 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-90/17 धारा 41/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 जाफर खान मय हमराह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

थाना-कोतवाली

पाकिट मारते समय पर्स के साथ चोर गिरफ्तार

दिनांक 04.02.2021 को श्री आशुतोष कुमार अस्थाना पुत्र स्व0 शिव प्रसाद लाल निवासी पाइन्दापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करायी कि मैं कार्यवश न्यायालय सी0जे0एम0 महोदय आजमगढ़ के न्याय कक्ष में गया अपने मुवकिल से कुछ बात कर रहा था कि उसी समय पीछे पैंट की जेब के पास कुछ दवाव बहसूस हुआ तो चौककर पीछे देखा तो

एक व्यक्ति पाकेट से चोरी करने के आशय से मेरा पर्स निकाल लिया था। उस पर्स में 50 रू0 एक नोट नकद व कुछ कागजात थे। उसे वही रंग हाथ पकड़ लिया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 35/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार तिवारी के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.02.201 को चौकी प्रभारी कचहरी प्रेमशंकर उपाध्याय मय हमराह हे0का0 संजय कुमार यादव द्वारा पाकेट से पर्स चुराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

जगरनाथ पाण्डेय पुत्र राममूरत पाण्डेय साकिन खुजिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 35/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद पर्स व रंग काला एक अदद आईडी, 50 रुपया का एक नोट

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण

1. प्रेमशंकर उपाध्याय चौ.प्र. कचहरी थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. हे0का0 संजय कुमार यादव, थाना कोतवाली, आजमगढ़

थाना सरायमीर

2 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अबैध शराब व गाँजा की बरामदगी व गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 04.02.2021 को उ0नि0 गुलाम अख्तर अली मय हमराह द्वारा छाजी लाल के मड़ई के पास खण्वारी नहर पुलियावहद ग्राम खण्डवारी से एक नफर अभियुक्त राशिद पुत्र शब्बीर निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को 2 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 11/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 11/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्टथाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राशिद पुत्र शब्बीर निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गुलाम अख्तर अली थाना सरायमीर आजमगढ़।

2. का0 नीरज कुमार यादव थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

थाना-रौनापार

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक: 05.02.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष द्वारा मय फोर्स दबिश जा रही थी। दौरान दबिश NBW मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट नं0 10 में वारंटी अभियुक्त 1. रामसरन पुत्र तुफानी सिंह सा0 जमीन वेलकुण्डा थाना रौनापार आजमगढ़ को अभि0 के घर जमीन बेलकुण्डा से समय लगभग 11.30 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामसरन पुत्र तुफानी सिंह सा0 जमीन वेलकुण्डा थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संतोष कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 रितेश तिवारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 ज्ञान प्रकाश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 रामनिवाश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

दो नफर वारंटी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह

द्वारा अपराध नियंत्रण एवं

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2021 को प्रशिक्षु उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मयहमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव द्वारा NBW/वारंटी के गिरफ्तारी के अभियान के दृष्टिगत क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि वारंटी अभियुक्तगण 1. हरी निषाद पुत्र सम्पति निषाद उर्फ झिनक 2. अखिलेश पुत्र हरी निषाद निवासीगण कोलमोदीपुर (परशुरामपुर) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराहीगण को साथ लेकर वारंटी के घर पहुँचे तो घर के बाहर दो व्यक्ति बैठे मिले। जिनको पुलिस हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो क्रमशः अपना नाम 1. हरी निषाद पुत्र सम्पति निषाद उर्फ झिनक 2. अखिलेश पुत्र हरी निषाद साकिनान कोलमोदीपुर (परशुरामपुर) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताये। बाद बताने सम्बन्धित वाद संख्या 35/2018 धारा 8/70 के वारंटीगण को समय करीब 08.35 बजे सुबह गिरफ्तार कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

वाद संख्या 35/2018 धारा 8/70 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. हरी निषाद पुत्र सम्पति निषाद उर्फ झिनक निवासी ग्राम कोलमोदीपुर (परशुरामपुर) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

2. अखिलेश पुत्र हरी निषाद निवासी ग्राम कोलमोदीपुर (परशुरामपुर) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रशिक्षुउ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।